

महाप्रबन्धक,
दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008 को लौटा दें।

निविदा संख्या 4-10/2017-18/PUR/PRS
वापिस लौटाने की तारीख 11.06.2018
प्रस्थापना किस तारीख तक खुली रहेंगी 10.09.2018
संलग्न अनुसूची के अनुसार प्रयोजन हेतु निविदा।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा
महाप्रबन्धक,
दिल्ली दुग्ध योजना,
पश्चिमी पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008.

प्रिय महोदय,

मैं/हम, एतद्द्वारा, यहाँ प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्य/माल (या उसका वह भाग जो आप अपनी स्वीकृति द्वारा सुनिश्चित करें।) के परिदान उन कीमतों पर जो मैंने / हमने उक्त अनुसूची में कोट की हैं और उक्त अनुसूची में बताए गए समय तक उसका परिदान करने के लिए और प्रथम अनुसूची में वर्णित विशेष शर्तों और उसकी दूसरी अनुसूची में वर्णित "निविदाकारों के लिए अनुदेश" "और संविदा की साधारण शर्तें" के अधीन रहते हुए निविदा करता हूँ/करते हैं। मैं/हम यह करार भी करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इस निविदा को ऊपर बताए गए दिनों तक आपकी स्वीकृति के लिए खुला रखूंगां/रखेंगे।

मैंने / हमने निविदाकारों के लिए दिए अनुदेशों को पूरी तरह से समझ लिया है और इसकी अनुसूची में दी गई अपेक्षाओं की पूरी तरह जांच कर ली है और मैं/हम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति से पूरी तरह अवगत हूँ/हैं और मेरी/हमारी फर्म इस निविदा प्रारूप की अपेक्षाओं के यथावत् अनुसार ही काम करेगी।

निहित अग्रिम धन _____ रूप का माँगदेय ड्राफ्ट/भुगतान आदेश/ बैंकर
चैक/बैंक गारंटी संख्या _____ दिनांक _____ के रूप में संलग्न है।

भवदीय

निविदाकार के हस्ताक्षर
(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

दिनांक _____

पूरा पता _____

साक्षी का नाम _____

हस्ताक्षर _____

पूरा पता _____

दूरभाष संख्या _____

(2)

FIRST SCHEDULE TO THE TENDER No.4-10/2017-18/PUR/PRS

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Description of Stores | High Density Polythelene (HDPE) pouch Crates suitable to contain 10 Nos. of one Litre, 20 Nos. of half litre or 02 Nos. of 5 Litre milk sachets as per specifications furnished in Annexure "A". |
| 2. Quantity required
(Please see para 1 of the Special Conditions below). | : 1500 Nos. of Crates |
| 3. Rates offered for material delivered in :
DMS premises inclusive of Sales Tax, Excise Duty or otherwise packing, Forwarding, Transportation & Octroi.
(Please see para 2 of Special Conditions below). | Rates may be quoted in the financial / price bid. |
| 4. Delivery Schedule for supply (Please see para 3 of the Special Conditions below). | |
| 5. EMD to be deposited with Tender | <u>Rs. 20,000/-</u> |
| 6. Security Deposit required to be submitted by the supplier for due performance of the contract. | 10% of the estimated value of the contract. |
| 7. The tender will be considered invalid if not accompanied with a sample of the Pouch Crate manufactured as per standards of DMS. | |

SPECIAL CONDITIONS OF THE TENDER

1. The quantity indicated in column 2 above is approximate. The General Manager, Delhi Milk Scheme reserves the right to place an order for 30% more or less than the quantity indicated herein and / or extend the contract awarded for further 90 days. General Manger, Delhi Milk Scheme reserves the right to engage two or more suppliers to supply the quantity noted in column 2 above and to apportion the quantity / amongst them in the manner he deems fit.
2. Rates may be offered in the financial / price bid. Rates may be quoted per unit of the goods for delivering the same in Delhi Milk Scheme premises inclusive of GST, Packing, Transportation and Octroi etc. May also see para 1.7 of II Schedule of the tender.

Contd.....2.....

CA 118
25/11/17

25/11/17

3

(2)

3. The suppliers are required to supply the entire quantity within 2 months from the date of issue of A/T. May also see para 11 of the Second Schedule to the tender.
4. Only e-tender/online tenders are allowed. No manual tenders will be accepted. Online Tender should be accompanied with signed and scanned copies of Tender documents and EMD of Rs.50,000/- in favour of General Manager, Delhi Milk Scheme payable at Delhi. Original Demand Draft / Pay Order / Bankers Cheque for EMD may be submitted to this office well before opening of Tender. EMD can also be submitted in the form of Bank Guarantee issued by scheduled bank valid for 05 months from the date of opening of tender.
5. In the event of breach of any the terms and conditions of the contract by the contractor, General Manager, Delhi Milk Scheme shall be entitled to terminate the contract at the risk and cost of the contractor.
6. Micro and Small Enterprises registered with District Industries Centers or Khadi and Village Industries Commission or Khadi and Village Industries Board or Coir Board or National Small Industries Corporation or Directorate of Handicrafts and Handloom or any other body specified by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises are exempted from depositing EMD. These Firms shall be given due consideration as per Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) order 2012. Proof of registration as Micro and Small Enterprises may be enclosed.
7. The contract will also be governed by IInd Schedule of the tender attached hereto. In the case of any variation in the Ist and IInd schedule to the tender, the provisions as contained in this Ist schedule shall prevail.

We hereby append our signature in verification of our Rate offer and in full acceptance of the terms and conditions stipulated in the Special Conditions of the First Schedule to the Tender.

Signature of Witness:

 Name of Witness
 (IN BLOCK LETTERS)

Address: _____

Signature of Tenderer(s)

 (Name of Tenderer(s)
 (IN BLOCK LETTERS)

Address: _____



SPECIFICATION OF HDPE (HIGH DENSITY POLY THENE) CRATES TO CARRY 10 NOS. MILK POUCHES OF ONE LITRE OR 20 NOS. MILK POUCHES OF HALF LITRE EACH (NEW TYPE)

1. The crates shall be generally as per ISI specification Nos. IS-11584-1986 (Specification of High Density Polyethylene (HDPE) Crates for milk Sachets.
2. The colour of Crates must be BOTTLE GREEN. Adequate Ultra violet stabilizer must be mixed homogenously to prevent fading of colour when exposed to sunlight.
3. All dimensions of Crates must conform to IS-11584-1986 except the following, which must be as under :
 - a. Inside depth : 136 ± 2 mm instead of 126 ± 02 mm
 - b. Total height : 151 ± 2 mm instead of 130 ± 02 mm
 - c. Height of Partition Center : 100 ± 02 mm
 - d. *Weight of each crate should be not less than 1.650 Kgs.*
4. The crates should have one centre partition as shown in the drawing available in the IS-11584 - 1986.
5. Please note that the dimension of all bottom spigot and the re-inforcement ribs of the Crate must be 10 ± 1 MM in depth and minimum 5 mm in thickness. A crate, which does not conform to this specification, shall not be accepted at all.
6. The crates must be interchangeable and interstackable with each other and with crates available in DMS and must be stable when filled crates are stacked Ten Nos. in height while stores / transported.
7. The letter "D.M.S." must be embossed in raised bold lettering 50mm X50mm size approx. on the two longitudinal sides of crates between the upper and lower rims. The upper rim must carry the words "DELHI MILK SCHEME PROPERTY NOT TRANSFERABLE" and date of manufacture and manufacture identification code.
8. ~~The weight of each pouch crate should not be less than 1500 gms. per crates.~~

Amly.
25/4/18

[Handwritten signature]

SECOND SCHEDULE

निविदाकारों का अनुदेश / Instruction to Tenderers.

टिप्पणी: निविदाकार इन अनुदेशों को सावधानी से पढ़ें। एसी निविदाएं जो किसी रूप से पूरी न हो या जो इन अनुदेशों की अवहेलना करके भरी हुई हों, मंजूर नहीं की जाएंगी/ उन पर विचार नहीं किया जाएगा।

NOTE : TENDERER(S) MAY GO THROUGH THESE INSTRUCTION CAREFULLY, TENDERER IN ANY WAY INCOMPLETE OR SUBMITTED DISREGARDING THESE INSTRUCTIONS ARE LIABLE TO BE IGNORED/REJECTED.

1.1 यह आवश्यक नहीं है कि न्यूनतम निविदा को स्वीकार किया जाएगा।

यह आवश्यक नहीं है कि निम्नतम निविदा स्वीकार कर ली जाएगी। भारत के राष्ट्रपति जिन्हें इसके आगे सरकार कहा गया है। निम्नतम या किसी निविदा को स्वीकार करने या किसी निविदा को अस्वीकार करने के कारण बताने को बाध्य नहीं है।

1.1 LOWEST TENDER NOT NECESSARILY TO BE ACCEPTED.

Lowest tender not necessarily to be accepted. The president of India here in after referred to as Govt. is not bound to accept the lowest or any tender or to assign any reason for not acceptance.

1.2 कीमत / क्रय अधिमान

सरकार की डब्ल्यू0डी0जी0/खादी ग्राम उद्योग/लघु उद्योग/पब्लिक सैक्टर/राज्य सैक्टर यूनिटों को विद्यमान नीतियों के अधीन देय अनुज्ञेय कीमत अधिमान सुविधा प्रदान करने का अधिकार है। अन्य बातों के समान होते हुए भारतीय मानक संख्या मार्का वाले माल को क्रय अधिमान दिया जाएगा।

1.2 PRICE/PURCHASE REFERENCE:

Government reserves its right to allow to the WDG/KVIG/SSI/Public Sector/State Sector Units price preference facilities as admissible under the existing policies. Other things being equal ISI marked goods will be granted purchase preference.

1.3 निविदा प्रस्ताव को स्वीकृत करने की शक्ति

निविदाकार इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वे दिए जाने वाले प्रदाय/की जाने वाली सेवाओं के लिए पूर्णतया या भागतर निविदा दें। सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि किए गए निविदा प्रस्ताव की किसी भाग को स्वीकार करें जब तक कि निविदादाता इसके विपरीत स्पष्ट रूप से न दर्शाए। सरकार को इस बात का अधिकार होगा कि प्रदाय की जाने वाली सेवाएं/सप्लाई के लिए दो या अधिक निविदाकारों को लगाए और जिसमें जैसा उचित समझें प्राप्त की जाने वाली सभी सेवाएं / सप्लाई बांट दें।

1.3 POWER TO ACCEPT THE TENDER OFFER

The tenderer is at liberty to tender either for the whole or any portion of the supplies /services to be rendered. Govt. have the right to accept any portion of the tender offer made unless the tenderer expressly stipulates to the contrary govt. reserves the right to engage two or more tenderers and apportion the quantum of services to be rendered/supplies to be made amongst them in the manner deems fit.

1.4 निविदा प्रस्ताव करने की विधि

~~निविदाएँ विहित प्रारूप में दो प्रतियों में मुहरबंद लिफाफे में प्रस्तावित की जानी चाहिए। लिफाफे पर बाहरी ओर तारीख 11.06.2018 को खुलने वाली निविदा संख्या 4-10/2017-18/PUR/PRS स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए। लिफाफे पर महामुद्रांक, दिल्ली दुग्ध योजना, भारत सरकार, नई दिल्ली का पता लिखा जाना चाहिए और इस प्रकार से भेजा जाए जिससे कि वह निविदा खोले जाने के लिए नियत तारीख को 2.00 बजे तक इस कार्यालय पहुंच जाए। यदि नियत तारीख समय/तारीख को अवकाश दिवस के रूप में घोषित कर दिया जाता है तो निविदाएं अगले कार्य दिवस को 10.00 बजे पूर्वान खोली जाएगी। निविदाकार निविदाएं खोले जाने के समय उपस्थित रह सकते हैं।~~

cont....2...

1.4 METHOD OF SUBMISSION OF TENDERS:

~~Tenders should be submitted on the prescribed form in duplicate in a sealed envelope clearly marked on the outside Tender No. 4-10/2017-18/pur/prsD for opening on 11.06.2018. The envelope should be addressed to the General Manager, Delhi Milk Scheme, Govt. of India, New Delhi 110009 and sent so as to reach this office by 2.00PM on the due date for opening of the tender. In case the due date happens to be declared as Holiday, the opening of the tenders shall be carried out at 10.00 AM on the next working day. THE TENDERER IS AT LIBERTY TO BE PRESENT AT THE TIME OF OPENING OF THE TENDERS. (For submission of ONLINE E-TENDER please see the documents of procedure of ONLINE BID SUBMISSION).~~

1.5 निविदा स्वीकृति विधि मान्यता

निविदाएं 10.09.2018 अवधि तक स्वीकृति के लिए खुली रहेगी। महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना एकमात्र अपने विवेकानुसार किसी ऐसे निविदा प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करें, जोकि निविदा प्रस्ताव की स्वीकृति की विधि मान्यता को कम करता है।

1.5 VALIDITY FOR ACCEPTANCE OF TENDERS:

Tenders shall remain open for acceptance upto and inclusive of 10.09.2018. General Manager, Delhi Milk Scheme at his sole discretion may accept / reject any tender offer which curtails the validity of acceptance of tender offer.

1.6 निविदा में दर/कीमत कोट करना

इस प्रयोजन के लिए निविदा की प्रथम अनुसूचि में दिए गए समुचित स्तंभ में अंकों और शब्दों में यथाप्रति यूनिट प्रदर्शित करते हुए, कीमतें कोट करना आवश्यक है। कोट की गई कीमते, निश्चित और उत्पादन शुल्क, अन्य सरकारी उद्ग्रहण, स्थानीय कर, पैकिंग/परेषण सेवा, सभी माल के परिदान प्रभार और /या दिल्ली दुग्ध योजना को दी जाने वाली सभी सेवाओं के प्रभार सहित होनी आवश्यक है।

1.6 QUOTING OF RATES PRICES IN THE TENDER:

Prices must be quoted in the appropriate column provided for the purpose in the First Schedule to the tender in figures and works and per UNIT indicated therein. Prices quoted must be firm and inclusive excise duties, other Govt. levies, Local Taxes, Packing Forwarding and transportation charges for delivery of the goods and or for rendering all their services in Delhi Milk Scheme.

1.7 कीमत अन्तर खण्ड

ऐसे संविदाकार, जो संविदा अवधि के दौरान कच्ची सामग्री के मूल्य, सरकारी उद्ग्रहण आदि तथ्यों के प्रति या किसी कीमत अन्तर को पूरा करने के लिए कीमत अन्तर खण्ड सम्मिलित कराने का इच्छुक है तो वह प्रयोग में लाई जा रही कच्ची सामग्री के स्रोतों सहित और कच्ची सामग्री से बनाए गए प्रति यूनिट सामान उत्पादन और उद्ग्रहणों के विस्तृत प्रमाण सहित विनिर्दिष्ट ब्यौरे प्रस्तुत करें। महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना निविदा स्वीकृति पत्र जारी करते समय इस बारे किए गए कीमत अन्तर खण्ड को सम्मिलित करने की किसी दलील को स्वीकार/नामंजूर करने के लिए स्वतंत्र है। संविदा अवधि के दौरान बाद में किसी स्तर पर मूल्य या कीमत अन्तर मंजूर किए जाने की दलील जैसाकि ऊपर उद्त किया गया है, विवरणों को दिए बिना उनपर बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा।

1.7 PRICE VARIATION CLAUSE:

The tenderers who are desirous of incorporating a price variation Clause to cover any price variation of any of the facts like raw material price, Government levies etc. during the period of contract must invariably furnish the break up of their cost of raw material being used with the sources and yield of finished goods per UNIT of raw material excise duty and other levies in specific details duly supported by proof thereof. General Manager, Delhi Milk Scheme shall be free to accept or reject any

contd.....3...

plea for incorporating the price variation clause made in this regard while issuing the acceptance of tenders. Plea for granting price variation at a later stage during the tenure of contract without furnishing the particulars as illustrated above during the course of tendering shall not be considered at all.

1.8 निविदाएं हस्ताक्षरित और साक्षित होगी

निविदा विधिवत् हस्ताक्षरित और साक्षित होनी चाहिए और सब प्रकार से पूरी होनी चाहिए। निविदाकार द्वारा निविदा के साथ प्रथम और द्वितीय अनुसूची तथा प्रथम अनुसूची से आबद्ध निर्देश या रेखाचित्र विधिवत रूप से हस्ताक्षरित और संक्षिप्त होने आवश्यक है। निविदा में की गई शुद्धियां / हटाए गए भाग को भी निविदाकारों द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए और उन पर उनके हस्ताक्षर होने चाहिए। किसी भागीदारी की दशा में निविदा पर सभी भागीदारी या ऐसे भागीदार के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसके पास समुचित मुख्तारनामा हो।

1.8 TENDERS TO BE SIGNED AND COMPLETED

The tender must be duly signed and witnessed as also the 1st Schedule and/Second Schedule to the tender, annexure, specifications or drawing appended to the first schedule to the tender by the tenderer(s). Any corrections/deletion made in the tender should be attested by the tenderer(s). In case of a partnership concern, all partners or someone holding the appropriate power of attorney should sign the tender.

1.9 निविदा की शर्तों, अनुबंधों, विनिर्देशनों से संशोधन /परिवर्तन

निविदाकार जो निविदा की प्रथम अनुसूची में दिए गए विनिर्देशों या निविदा की शर्तों व उपबंधों तथा उसके साथ लगे अनुलग्नक और रेखाचित्रों में संशोधन /परिवर्तन के साथ माल की सप्लाई / सेवाएं प्रदत्त करने का प्रस्ताव करता है / करते हैं तो वह उन विकरणों को जो निविदा के उपबंधों से भिन्न हैं, निविदा की प्रथम अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सप्लाई किए जाने वाले माल और /या दी जाने वाली सेवाओं से परिचित होकर य उसके बारे में जानकारी लेने के बाद अलग से अपने पत्रहैड में अपने पूरे हस्ताक्षरों सहित निम्नानुसार स्पष्ट करेगा :

निविदा में मूल अनुबंधों का सन्दर्भ	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन	कारण
------------------------------------	----------------------------	------

1.9 MODIFICATIONS/ALTERATIONS TO SPECIFICATIONS OF TERMS AND CONDITIONS OF TENDER.

The tenderer(s) who offer(s) to supply/render services with modifications/alterations to specifications or terms and conditions of tender as laid down in the first schedule to the tender and in annexure and drawings appended thereto must clearly bring out the particulars which are in variations with the tender stipulation separately on his/their letter head in the familiarizing/understanding about the nature of goods to be supplied and or services to be rendered as per stipulations in the first Schedule to the tender separately on his/their letter head in the following form at under his/their full signature.

Reference to Original Tender stipulated	Modification Alternations offered	REASONS
-----------------------------------------	-----------------------------------	---------

1.10 सन्दाय किए जाने वाले माल/दी जाने वाली सेवाओं से परिचित होना

निविदाकार को चाहिए कि वे प्रदाय किए जाने वाले माल और दी जाने वाली सेवाओं की बाबत, निविदा की प्रथम अनुसूची में दिये गए विनिर्देश/रेखाचित्रों और अन्य अनुबंधों को भलिभाँति पढ़ लें और अपने आप को संतुष्ट कर लें। यदि आवश्यक हो तो निविदा प्रस्तुत किए जाने से पूर्व वास्तविक रूप से निरीक्षण/जानकारी कर लें (वस्तुतः ऐसा निरीक्षण किया गया है या नहीं) अपेक्षित है तो यह समझ लिया जाएगा कि सभी अपेक्षाओं और सन्दाय की जाने वाली सेवाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने की निविदाकार को जानकारी है। निविदाकार प्रथम अनुसूची के अनुबंधों के अनुसार प्राप्त किए जाने वाली सेवाओं की प्रकृति की बाबत पूरी जानकारी / समझ के बारे में उसकी ओर से किसी चूक के कारण किसी प्रतिकार के दावे का हकदार नहीं होगा।

contd.....4....

1.10 FAMILIARISATION REGARDING THE GOODS TO BE SUPPLIED/ SERVICE TO BE RENDERED.

The tenderer(s) may satisfy himself/themselves thoroughly about the goods to be supplied / and or the service to be rendered by going through the specifications/drawing and other stipulations furnished in the first schedule to the tender and if required by physically inspection / familiarizing with the same prior to submission of the tender and shall be deemed (whether or not such inspection have in fact taken place) to have taken notice of all the requirements on the facilities available for rendering the services, the tenderers shall not be entitled to claim any compensation on account of any lapse on their part is fully familiarizing/understanding about the nature to be supplied and or services to be rendered as per stipulation in the first schedule to the tender.

1.11 नमूना

निविदाकार को अपनी विशेषता सिद्ध करने, अपनी कारीगरी दर्शाने और प्रस्तावित उत्पाद की उपयुक्तता को प्रमाणित करने/अपनी कारीगरी को सिद्ध करने, चाहे उसकी प्रथम अनुसूची में अलग से माँग की गई हो अथवा नहीं, मुफ्त नमूने प्रदान करने होंगे। नमूनों पर निविदाकार का पहचान चिन्ह तथा जिस निविदा के लिए ये दिए जा रहे हैं, उसकी संख्या तथा तारीख अवश्य होनी चाहिए। नमूने दिल्ली दुग्ध योजना का "भण्डार (प्राप्ति) अनुभाग" के काउंटर पर लिए जाएंगे। नमूने जब तक निविदाकार अन्यथा न कहे, भारत सरकार की सम्पत्ति बन जाएंगे। सरकार को इसका मूल्यांकन करने के लिए टैस्ट्स, प्रयोग या हस्तांतरण या ऐसे नमूनों की तारीख से तीन महीने पश्चात् नष्ट करने की पूरी स्वतंत्रता होगी।

1.11 SAMPLE

The tenderer(s) may provide free samples to prove their point show their workmanship and establish the suitability of the product offered / establish their workmanship whether or not the same have been separately/insisted or in the first schedule. The samples must carry identification marking of the tenderer along with the tender number and date against which it is submitted. Samples must be handed over at the Stores Receipt Section counter at Delhi Milk Scheme. Samples, unless otherwise stated by the tenderer once received, shall become the property of the Government. Govt. shall have full liberty to subject it to any tests for evaluation and use or transfer/destroy or dispose off the same after a period of three months from the date of receipt of such samples.

1.12 अग्रिम धन निक्षेप

निविदा के साथ निविदा मूल्य का 5% बशर्ते अधिकतम पन्द्रह हजार रूपए तक पैरा 1.14 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति निक्षेप की किसी भी रूप में इन शर्तों की सहमति की बाबत अग्रिम धन-निक्षेप देना होगा कि -

- (क) निविदाकार अपने प्रस्ताव से मुकरे नहीं।
- (ख) प्रस्ताव की विधिमान्यता को कम न करे।
- (ग) निविदा प्रस्ताव के अनुबंधों और शर्तों में ऐसी रीति से कार्य उपांतरण या परिवर्तन का प्रयास नहीं करेगा, जो महाप्रबन्धक को अस्वीकार्य हो और
- (घ) निविदाकार खण्ड-8 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिभूति व निक्षेप राशि जमा करेगा जब महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा लिखित रूप में इस प्रकार की माँग की जाए।

1.12 EARNEST MONEY DEPOSIT

The tender must be accompanied with Earnest Money Deposit equal to 5% of the tender value subject to a maximum of Rs.50,000/- or 5% of the contract value whichever is less. in any of the forms of Security specified in para 1.14 in token his agreement to the stipulation that ;

cont.....5....

- (a) the tenderer shall not resile from his offer.
- (b) Curtail the period of validity of the offers
- (c) Modify or attempt to enter the terms and conditions of tender offer in a manner not acceptable to General Manager, Delhi Milk Scheme.
- (d) The tenderer shall deposit the amount of Security Deposit as specified in clause 8 as and when so demanded by General Manager, Delhi Milk Scheme by a letter.

The Earnest Money Deposit of tenderers who do not comply with the above stipulations is liable to be forfeited to the Govt. The Earnest Money Deposit save as herein provided shall be returned to the tenderers who are not awarded with the contract and the Govt. shall not be responsible for any loss or depreciation thereof nor liable to pay interest thereof while the Earnest Money Deposit remains in the custody of the government.

However as per policy of the Govt. the requirement for EMD shall not be insisted upon in case of tenders who are bonafide WDC/KVIC/SSI/Units registered with NSIC or State Govt. and those who are registered with the D.G.S.&D. for the items tendered provided photo copies of valid certificates in this regard duly authenticated by the tenderers are submitted along with the tenders on proof thereof.

1.13 प्रतिभूति निक्षेप

निविदाकार से संविदा के समुचित अनुपालन के लिए जिसमें गारंटी / वारंटी का अनुपालन भी शामिल है, इस अनुसूचि के खण्ड 1.14 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति के किसी रूप में जमा करानी होगी। प्रतिभूति निक्षेप की प्राप्ति के पश्चात् ही निविदा - स्वीकृति जारी की जाएगी। सरकार को यह अधिकार होगा की वह संविदा में दी गई शर्तों अनुसार बिना पूर्व धारणा के कार्रवाई कर प्रतिभूति निक्षेप को जब्त कर ले यदि ठेकेदार संविदा के किसी भाग को निविदा स्वीकृति और / या निविदा के प्रथम और द्वितीय शैड्यूल के उपबंधों के अनुसार जिसमें गारंटी / वारंटी अनुपालन भी शामिल है का पालन करने में असफल रहता है।

संविदा के यथोचित रूप से निष्पादित करने और निविदा स्वीकृति में विनिर्दिष्ट शर्तों व उपबंधों के अन्तर्गत गारंटी / वारंटी उपबंधों आदि के निष्पादन और "बेबाकी प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किए जाने पर प्रतिभूति निक्षेप को ठेकेदार को वापिस लौटा दिया जाएगा। परन्तु प्रतिभूति निक्षेप की सरकार की अभिरक्षा में रहने के दौरान उस पर ब्याज या उसकी हानि अथवा अवक्षयण की बाबत सरकार के विरुद्ध कोई दावा कभी नहीं किया जाएगा।

1.13 SECURITY DEPOSIT

The tenderer shall be called upon to deposit the amount of Security Money required for the due performance of the contract the performance of the guarantee/Warranty in any of the forms of securities as specified in Clause 1.14 of this Schedule. Acceptance the tender shall be issued on receipt of the security Deposit. Govt. reserves the right to forfeit the security Deposit to the govt. in case the contractor fails to performance part of the contract including those related to the performance of the guarantee/warranty as per stipulations in the Acceptance of tender and or the first and second schedule to the tender without prejudice to other actions as laid down therein.

The security deposit shall be returned to the contractor on due performance of the contract and on the satisfactory discharge of the obligations under the guarantee/warranty. Terms stipulated in the Acceptance of tender on submission of a No Demand Certificate provided always that no claim shall lie against the Govt. in respect of any interest thereon nor any loss or depreciation thereof while the Security Deposit remained in the custody of the Government.

cont.....6....

1.14 अग्रिम धन-निक्षेप/प्रतिभूति निक्षेप के रूप में स्वीकार्य प्रतिभूति के प्रारूप

- (क) महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना के पक्ष में लिखित और भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से अधिप्राप्त माँगदेय ड्राफ्ट / नियतकालिक रसीद / सावधिक जमा रसीद।
- (ख) महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना के पास गिरवी डाक बचत लेखा
- (ग) महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना के पास गिरवी रक्षा बचत प्रमाण-पत्र (डिपेंस सेविंग सर्टिफिकेट / राष्ट्रीय बचत पत्र)
- (घ) महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना के पास अंकित मूल्य पर गिरवी भारतीय यूनिट ट्रस्ट की निक्षेप रसीद
- (ङ.) भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निक्षेप बैंक गारंटी

1.14 FORMS OF SECURITY ACCEPTANCE AS EARNEST MONEY DEPOSIT/SECURITY DEPOSIT

- (a) Demand Draft/Fixed Deposit Receipt/Term Deposit Receipt/Deposit at call Receipt obtained from State Bank of India or any Nationalized on Bank and drawn in favour of General Manager, Delhi Milk Scheme.
- (b) Postal saving account pledged to General Manager, Delhi Milk Scheme.
- (c) Defence saving Certificate/National Saving Certificate pledged to General Manager, Delhi Milk Scheme.
- (d) A deposit Receipt of Unit Trust of India at fare value pledged to General Manager, Delhi Milk Scheme.
- (e) Bank Guarantee executed by State Bank of India or any Scheduled Bank.

1.15 स्पष्टीकरण / समझौते की बातचीत

सरकार निविदा की किसी भी बात पर स्पष्टीकरण / संशोधन की अपेक्षा के संबंध में बातचीत अथवा अन्यथा के लिए निविदाकार को बुलाने का अधिकार है और इसके लिए निविदाकार इस बात के लिए जिम्मेदार होगा कि वह निर्धारित तारीख को निश्चित किए गए समय पर उपस्थित हो। निविदाकार द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण / संशोधन इस निविदा को लागू किए जाने वाले उपबंधों का एक भाग होगा। महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना निविदाकारों द्वारा बताए गए ऐसे परिवर्तनों / संशोधनों को जैसा ये उचित समझें, स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं और इसके लिए वे कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं हैं। यदि कोई निविदाकार जिसे स्पष्टीकरण देने / बातचीत के लिए उपस्थित होने को कहा गया हो, इस प्रयोजन के लिए निर्धारित समय के अन्दर-अन्दर ऐसा नहीं करता है तो सरकार ऐसे निविदाकारों को आगे अवसर प्रदान करने को बाध्य नहीं है। और दूसरे के साथ ऐसी निविदा पर इसके मूल पर ही विचार करने के लिए स्वतंत्र है।

1.15 CLARIFICATIONS/NEGOTIATIONS

Government reserves the right to call upon the tenderer(s) through negotiations or otherwise about any of the points in the tender requiring clarifications/modifications and the tenderer(s) shall be responsible to attend to the same within the time and dates specified. Any clarifications/modification made by the tenders at the time of negotiations shall be deemed to be part of the tender for enforcing the provisions in this tender. General Manager, Delhi Milk Scheme may accept or reject such alternations/modifications of the tenderers as he deems fit and shall not be bound to give any reasons thereof for the

contd.....7....

same. If any of the tenderer(s) who were requested to offer clarifications/attend negotiations did not do so within the time specified for the purpose, Govt. is not bound to give such tenderers any further opportunity and shall be free to consider such tenders on its original alongwith those of others.

1.16 **अतिरिक्त विशिष्टियाँ**

अतिरिक्त विशिष्टियाँ, यदि कोई हो, आवेदन पर प्रस्तुत की जाएंगी।

1.16 **FURTHER PARTICULARS**

Further particulars if any will be furnished on applications.

संविदा की साधारण शर्तें : GENERAL CONDITIONS OF THE CONTRACT

1. परिभाषाएं DEFINITION

(क) सरकार : सरकार का अर्थ भारत के राष्ट्रपति जोकि महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना, पश्चिमी पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 अथवा उनके कार्यालय में उत्तराधिकारी (यों) के माध्यम से कार्रवाई करें।

a. GOVT. The Govt. means the President of India acting through General Manager, Delhi Milk Scheme, West Patel Nagar, New Delhi-110008 or his successor(s) in office.

(ख) ठेकेदार (रों) : ठेकेदार का अर्थ ऐसा व्यक्ति /फर्म/कम्पनी/संस्था से है जिसके साथ सरकार, निविदा की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल का प्रदाय करने या सेवा उपलब्ध कराने के लिए संविदा करती है और जब संदर्भ के अनुकूल हो तो उसके या उनके प्रतिनिधि और अनुज्ञात अधिन्यासी।

b. **THE CONTRACTOR (S)**: The contractor (s) means the person(s)/Firm/Company / Institution with whom the Govt. Concludes the contract for supplying of goods and or rendering services specified in the first schedule to the tender when the context so admits including his or their representatives and permitted assignees.

(ग) माल / सेवाएं : माल / सेवा पद का अर्थ ऐसे माल और / या सेवा से है जो निविदा की पहली अनुसूची में वर्णित है तथा जो उसके विनिर्दिष्ट विनिर्देशों, अभिलेखों और निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन हो।

c. GOODS / SERVICES

The terms goods/services means the goods and or services described in the first schedule to the tender subject to the specifications, drawing and or terms and conditions specified therein.

2. निविदा की शर्तों का लागू होना / APPLICABILITY OF TENDER CONDITIONS

वे सभी विषय जिनकी इस निविदा की प्रथम अनुसूची में दी गई विशेष शर्तों द्वारा व्याख्या नहीं की गई है, यह संविदा निविदा की द्वितीय अनुसूची में दी गई शर्तों से शासित होंगे। किसी भी भिन्नता की हालत में प्रथम अनुसूची में दी गई विशेष निबंधनों की शर्तें ही लागू होंगी।

On all points not covered by Special Conditions as laid down in the first Schedule to the tender, the contract shall be governed by the conditions as laid down in the second schedule to the tender. In the event of any divergence, the terms of the Special Conditions as laid down in the First Schedule shall prevail.

3. संविदा को समुनुदेशन या उप-पट्टे पर देना

ठेकेदार इस संविदा को या उसके किसी भाग को महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना समुदेशित नहीं करेगा या उप-पट्टे पर नहीं देगा और यदि ऐसा करने की आज्ञा दी जाती है तो भी वह करार / निविदा के अनुबंधों के अनुसार ठेके को निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार होगा यह / वे तथापि किसी व्यक्ति/कम्पनी को अपनी जिम्मेदारी पर किसी प्रकार से इस ठेके की शर्तों पर अपना / उनका प्रभाव डाले बिना इस्तेमाल कर सकेंगे।

3. ASSIGNMENT OF SUB-LETTING OF CONTRACT

The contractor shall not assign or sublet this contract or any part thereof without the prior written permission of the General Manager, Delhi Milk Scheme and even if permitted to do so shall remain liable for performing the contract as per stipulations in the A/T. He/They may however, utilize any other person/company on their own responsibility without in any way effecting his/their performance with reference to the contract.

cont.....2.....

4. पूर्व निरीक्षण/प्रक्रम निरीक्षण :

प्रदाय किए जाने वाले माल/उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा का निरीक्षण हमारे अपने विशेषज्ञों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह निविदा स्वीकृति के अनुबंधों के अनुसार है। तथापि, महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना, को यह अधिकार होगा कि वह माल के विनिर्माण / तैयार होने या दी जा रही सेवा का निरीक्षण उसके किसी प्रक्रम पर करें। जहां कहीं निविदा स्वीकृति के रूप में करार/निविदा की पहली अनुसूची में निविदा अनुबंध के किसी भाग में प्रक्रम-वार निरीक्षण का प्रावधान है, वहाँ ठेकेदार को चाहिए कि वह महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना को यह सूचित करे कि किस प्रक्रम पर निरीक्षण किया जाना है। उसे निरीक्षण के प्रत्येक प्रक्रम के पश्चात् अनापत्ति प्रमाण-पत्र या इसके लिए लिखित अनुज्ञा प्राप्त किए बिना, आगे विनिर्माण /निर्माण नहीं करना चाहिए। ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह ऐसे प्रक्रमवार निरीक्षण के निष्कर्षों के अनुसार उपांतरण या पुनः कार्य करे। ऐसे मामलों में महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना का विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकर होगा।

4. PRE-INSPECTION/STAGE INSPECTION

The goods to be supplied/service to be rendered must be inspected by our own experts to ensure that the same is as per stipulations in the A/T. However, General Manager Delhi Milk Scheme reserves his rights to inspect at any stage of the manufacture/fabrication of goods and or service being rendered. Wherever stage wise inspection is stipulated as a part of the tender stipulation in the A/T or first schedule to the tender, the contractor should inform General Manager, Delhi Milk Scheme when it is due for stage Inspection. He should not proceed with further manufacture/fabrication without obtaining clearance certificate after each stage of inspection or written permission thereof. The contractor shall be required to carry out such modifications or re-do the job as per finding of such stage wise inspection. The decision of General Manager Delhi Milk Scheme shall be final and binding in such cases.

5. जबतक कि अन्यथा कथित न हो माल का प्रदान दिल्ली दुग्ध योजना के परिसर में किया जाना चाहिए और उनकी उतराई भी ठेकेदार द्वारा की जानी चाहिए। यदि कोई माल, कारखाना आधार पर प्रदाय के लिए स्वीकृत किया जाता है तो ठेकेदार से अपेक्षा की जाएगी कि वह स्पष्ट रेल रसीद/परीक्षित नोट वाहक के जोखिम पर प्रेषित करे। सरकार सामान्यतः घोषित प्रेक्षणों के लिए प्रथक बीमा भार अनुज्ञान नहीं करती हैं।

5. Unless otherwise stated goods should be supplied at the Delhi Milk Scheme premises and its unloading also is required to be carried out by the contractor. In case of any goods being accepted for supply on ex-factory basis, the contractor shall be required to dispatch the same at the carriers risk on clear R/R consignee note. Government normally do not allow separate insurance charges for the consignment dispatch.

6. सामान की प्राप्ति और स्वीकृति :

माल का परिदान किए जाने पर उसे निरीक्षण के अधीन रहते हुए स्वीकार किया जाएगा और उसकी रसीद, ठेकेदार का चालान/बीजक प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जाएगी। माल का निरीक्षण निविदा के अनुबंधों के अनुसार किया जाएगा। यदि माल का निरीक्षण किए जाने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसकी लिखित रूप से कारण बताते हुए ठेकेदार को संसूचित किया जाएगा। ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अनुबद्ध समय के भीतर अस्वीकृत माल ले जाए और पत्र जारी किए जाने के समय संसूचित परिदान अवधि के भीतर उसे बदल दे, बताई गई कमियों को दूर कर दें। एक बार माल अस्वीकृत कर दिए जाने से यह समझा जाएगा कि अस्वीकृत माल संविदाकार के जोखिम और जिम्मेदारी पर पड़ा है। निविदाकार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह माल को अस्वीकृत करते समय सूचित किए गए अनुबंधित समय के भीतर अस्वीकृत माल हटाने/वताई गई कमियों को दूर करने की व्यवस्था करें। ऐसा करने में असफल रहने पर महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना इस बात के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे कि वह ठेकेदार को लिखित सूचना देने के पश्चात् लोक नीलामी द्वारा इस माल को व्यसन कर दें। ऐसी दशा में महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना किसी भी प्रकार से ठेकेदार को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और अस्वीकृत माल के निपटारे से वसूल की

contd.....3....

demand. The contractor shall not be entitled for any payment/compensation whatsoever in cases where he has not carried out work in full to the entire satisfaction of the General Manager Delhi Milk Scheme. The decision of General Manager Delhi Milk Scheme shall be final and binding in such cases.

8. भुगतान

माल के परिदान और / या सेवा उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् और दिल्ली दुग्ध योजना में उसके निरीक्षण करने पर स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात् ही ठेकेदार को संदाय किया जाएगा। ठेकेदार तीन प्रतियों में राजस्व स्टैम्प लगाकर रसीद सहित बिल और उसके समर्थक दस्तावेज, यदि कोई हो, दिल्ली दुग्ध योजना के सामग्री प्राप्ति अनुभाग को संदाय की व्यवस्था करने के लिए देगा। असंतोषजनक पाए गए सामान /परिदान की गई सेवा के लिए संविदाकार किसी भी प्रकार के संदाय का हकदार नहीं होगा।

8. PAYMENT

Payment shall be released to the contractor after delivery of the goods and / or rendering the services and acceptance of the same on inspection in Delhi Milk scheme. The contractor may handover a pre-receipt bill duly revenue stamped in triplicate alongwith supporting documents if any to the Stores Receipt section of Delhi Milk Scheme for arranging the payment. The contractor shall not be entitled to any payment whatsoever in respect of rejected goods and or services rendered which have been found not satisfactory.

9. शोध्य रकम की वसूली

इस संविदा के अधीन जब कभी कोई रकम संविदाकार से वसूली होगी या उसके द्वारा संदेय होगी, महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना ठेकेदार के किसी बकाया बिलों, जो उसे संदेय हो, वसूल कर सकेगा। यदि उपर तथा उपरोक्त रीति से वसूली संभव नहीं हो पाई हो तो महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना सव:विवेकानुसार ठेकेदार के प्रतिभूति निक्षेप से पूर्णतः या अंशतः विनियोजित कर सकेगा और यदि प्रतिभूति धन अपर्याप्त हो तो अतिशेष उनके पास रखी गई किसी भी रकम मे से या सरकार के साथ इस या किसी अन्य संविदा के अधीन प्रदायकर्ता को शोध्य हो जाए, वसूल किया जा सकेगा और यदि यह भी पर्याप्त न हो तो ठेकेदार माँग करने पर सरकार को अतिशेष का संदाय करेगा।

9. RECOVERY OF SUMS DUE

Whenever under the contract any sum of money shall be recoverable from or payable by the contractor, General Manager, Delhi Milk Scheme may recover the sum from any of the outstanding bills of the contractor which are due for payment. In case recoveries in the manner as above has not been possible General Manager, Delhi Milk Scheme at his sole discretion may appropriate the same from the Security Deposit of the contractor in whole or in part and in the event of the Security Money being in-sufficient the balance may be deducted from any sum lying with them or which at any time thereafter may become due to the supplier under this or any contract with the Govt. and it is not sufficient the supplier shall pay the balance to the Govt. on demand.

10. गारंटी / वारंटी

माल का प्रदाय और उपलब्ध कराई गई सेवा, निविदा के निबंधनों और अनुबंधों के अनुसार संतोषप्रद रूप में ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठेकेदार उन मर्दों या उनके पुर्जों को, जो डिजाइन / कारीगरी या घटिया सामग्री के कारण त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं और जो उनके उपयोग प्रारम्भ करने के बाद 12 मास के भीतर या माल के परिदान के 24 मास के भीतर, इसमें से जो भी पहले हो, ठेकेदार की जानकारी में लाए जाते हैं, बिना अतिरिक्त प्रभार के मरम्मत /बदलने की गारंटी देता है। यदि त्रुटिपूर्ण सामान और उसके भाग की मरम्मत / बदलने के लिए ठेकेदार के वर्क्स पर भेजना आवश्यक हो तो पुनः पैक करने, उठाई,भराई और दिल्ली दुग्ध योजना के सकर्म से ठेकेदार के सकर्म तक और वहाँ से दिल्ली दुग्ध योजना तक परिवहन की लागत ठेकेदार वहन करेगा। तथापि, इस गारंटी के अन्तर्गत सामानय घिसाई, अनुचित देखभाल या मरम्मत के दौरान ऐसे कार्मिकों के द्वारा, जो इसके लिए प्राधिकृत नहीं है, अनुचित व्यवहार के परिणामस्वरूप नुकसान नहीं आता है।

ठेकेदार के उपस्कर की डिजाइन / रेटिड / संस्थापित क्षमता या करार / निविदा में दिये गये मानदंड के अनुसार उनके संतोषप्रद रूप से कार्य करने के लिए उपस्कर के स्थापित किए जाने की तारीख से कम से कम 12 मास की अवधि के लिए वारंटी देने की अपेक्षा की जाएगी।

10. GUARANTEE / WARRANTY

The supply of goods as well as services entrusted shall have to be carried out by the contractor to the entire satisfaction of the stipulation in the tender terms. The contractor shall also Guarantee to repair/replace without any extra cost the items or part thereof if found defective due to designing, workmanship or sub-standard material brought to their attention within 12 months from the date of putting the same to use or 24 months from the date of putting the same to use or 24 months from the date of delivery of the goods whichever is earlier. If it is necessary to send the defective goods or part thereof to the contractor works for repairs/replacement, without forming any precedent the cost of packing loading unloading transportation from Delhi Milk Scheme shall have to be borne by the Contractor. The Guarantee however shall not cover any damage resulting from normal wear and tear or improper attendance or mis-handling of the agreement during repairs by personnel who are not authorized to handle it. The contractor shall be required to provide a Warranty for minimum period of 12 months from the date of commissioning of equipment for satisfactory performance of the supplied equipments according to design/rated/installed capacity or any other norms stipulated in the A/T.

11. अनुबद्ध समय के भीतर माल का परिदान और / या उपलब्ध कराना :

ठेकेदार से करार / निविदा में इस निमित्त अनुबद्ध समय के भीतर पूर्ण रूप से माल का प्रदाय करने या सेवा उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाएगी। यदि ठेकेदार पूर्ण रूप से माल का प्रदाय करने या सेवा उपलब्ध कराने में असफल रहता है महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना अपने एकमात्र विवेकानुसार ठेकेदार को विस्तारित समय के भीतर एक मास या उसके किसी भाग की अवधि के लिए हुए विलम्ब के लिए निविदा के पूर्ण मूल्य के लिए एक प्रतिशत की दर से और एक मास या उसके किसी भाग की अवधि के लिए हुए विलम्ब के लिए निविदा के पूर्ण मूल्य के लिए एक प्रतिशत की दर से और एक मास से अधिक किन्तु 6 मास तक की अवधि के लिए हुए विलम्ब के लिए निविदा के लिए पूर्ण मूल्य के लिए दो प्रतिशत की दर से परिनिर्धारित नुकसानी अधिरोपित करने के अपने अधिकार को आरक्षित करते हुए उसे पूरा करने की अनुज्ञा दे सकेगा। किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार की बढ़ाई गई अवधि के दौरान मूल्यों से संबंधित कारण उद्घरण सहित किसी भी कारण से बढ़ी हुई दरों का दावा करने का न तो अधिकार होगा और न ही उसके लिए दृढ आग्रह करेगा और महाप्रबन्धक उपर कथित किसी बात के होते हुए भी इसके लिए आबद्ध नहीं होगा। महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना करार / निविदा में अनुबद्ध समय के भीतर माल का पूर्ण प्रदाय करने या सेवा पूर्ण उपलब्ध कराने में हुई असफलता को निविदा को भंग करना मान सकता है और ठेकेदार को लिखित सूचना देकर निविदा को पूर्ण रूप से रद्द कर सकेगा या यदि निविदा किशतों में पूरी की जानी थी तो उस सीमा तक रद्द कर सकेगा जिस तक उसका पालन नहीं हुआ था और ठेकेदार को सूचित करते हुए परिस्थिति के अनुरूप समुचित क्षति को ठेकेदार की लागत और जोखिम पर माल खरीद सकेगा या सेवा उपलब्ध कराने के व्यवस्था कर सकेगा और ठेकेदार माँग किए जाने पर इस बाबत उठाई गई हानि या उपगत को पूरा करने के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

11. DELIVERY OF THE GOODS AND /OR RENDERING SERVICES WITHIN THE STIPULATED TIME

The contractor shall be required to delivery the goods and/or render the services in full within the time schedule stipulated for the purpose in the A/T. In case the contractor fails to deliver the goods and / or render the services in full the General Manager, Delhi Milk Scheme may at his sole discretion allow the contractor to complete the same during the extended period reserving his right to impose liquidated damage at 1% of the full value of the contract delay for a period of one month on part thereof and 2% of the contract for delay a period of more than one month but not exceeding six months. The contractor under any circumstances have no right to claim or insists for enhanced rates on account of any factor

contd.....6....

including the extended period nor General Manager, Delhi Milk Scheme is bound not withstanding whatsoever is stated above, the General Manager, Delhi Milk Scheme may treat such failure to deliver the goods full or to the extent it was not performed in installments, by communicating the same to the contractor in writing and by the goods and arrange to get the services rendered at the contractors risk and cost in the manner considered appropriate depending on the situation, under intimation to the contractor and the contractor shall be fully responsible to make good the losses if any and expenses thereof incurred on account of the same on demand.

12. **संविदा रद्द करने की शक्ति :**

महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना को उस दशा में लिखित पत्र जारी करके संविदा को रद्द करने का अधिकार होगा जिसमें निविदा की पहली अनुसूची, इसके अनुलग्नकों और विनिर्देशों और / या निविदा की दूसरी अनुसूची में अभिकथित किन्हीं अनुबंधों के अधीन संविदा का पालन संतोषप्रद रूप से नहीं किया गया हो और इसके साथ ही उस क्षतिकर्मि ठेकेदार के जोखिम और लागत पर उनको क्रय करने का भी अधिकार होगा। इस बाबत उपगत हानियों और व्यय की माँग किए जानें पर ठेकेदार द्वारा संदेय होगा।

12. **POWER TO CANCEL CONTRACT**

General Manager, Delhi Milk Scheme reserves the right to cancel the contract by issual of a letter in writing in cases where the performance of the contract have not been found satisfactory under any of the stipulation laid down in the First Schedule to the tender, its annexure and specifications and on the second schedule to the tender and arrange to purchase the same at the risk and cost of the defaulting contractor. Losses and expenses incurred in this regard shall be payable by the contractor on demand.

13. **अपरिहार्य घटना :**

यदि ऐसे माल को और / या की जाने वाली सेवा की, जिसके लिए संविदा की गई है, सरकारी नीति / निवेश में, परिवर्तने के कारण या किसी अन्य कारण से जो महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना के नियंत्रण से परे हो, आवश्यकता नहीं रह गई हो तो संविदा उसी प्रक्रम पर बिना किसी वित्तिय प्रभाव के समाप्त समझी जाएगी। शोध्य संदाय, यदि कोई हो और संविदा की प्रतिभूति निक्षेप ऐसे मामलों में तब वापिस किया जाएगा जब सरकार को शोध्य राशि की वसूली हो जाती है और इस अनुसूचि के पैरा 1.13 के अधीन अपेक्षित बेबाकी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है।

13. **FORCE MEJEURE**

If the goods and / the services to be rendered for which a contract is concluded is no more required on account of change in Government policy/directive or due to any reasons beyond the control of General Manager, Delhi Milk Scheme the contract awarded shall be treated as terminated at the stage without financial repercussions. Payment due if any and the Security Deposit of the contract will be refunded to the contractor in such cases after recovery any amount due to the Government on submission of a No Demand Certificate as required under para I-13 of the Schedule.

14. **दिवाला :**

सरकार इस संविदा को किसी भी समय समाप्त कर सकती है यदि ठेकेदार दिवालिया, न्यायनिर्णय पेश किया जाता है या वह अपने लेनदारों के साथ कोई ठहराया करता है और यदि ठेकेदार कोई कम्पनी है जो स्वेच्छा से या अन्यथा समाप्त हो जाती है, सिवाय उस दशा के जिसमें ऐसा पुनःगठन के प्रयोजन के लिए किया जाता है तथा सरकार इस कारण हुए नुकसानों को वसूल कर सकती है।

14. INSOLVENCY

The Govt. may at any time terminate this contract if the contractor is adjudicated insolvent or enters into any arrangement with the creditors or the contractor being a company is wound voluntarily or otherwise unless it be for the purpose of reconstitution and recovery from the Contractor any loss resulting there from.

15. ठेकेदार के कर्मचारियों की हुई क्षति के लिए प्रतिकर :

सरकार उस दशा में किसी भी प्रकार का प्रतिकर अवर्णित करने के लिए आबद्ध नहीं होगी जिसमें ठेकेदार का कर्मचारी / अभिकर्ता / प्रतिनिधि संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं के निर्वहन करने में दिल्ली दुग्ध योजना के परिसर में उनकी अपनी उपस्थिति के दौरान उनकी कृतिक या दुर्घटनाजनक क्षति होती है।

15. COMPENSATIONS FOR INJURIES TO THE STAFF OF THE CONTRACOR

The Government shall in no way be bound to indemnify or award any compensation whatsoever in the event of any employee/agent/representative of the contractor sustaining any professional or accidental injury during the course of his stay in Delhi Milk Scheme premises to discharge the contractual obligations.

16. सरकारी सम्पति का नुकसान :

ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि दिल्ली दुग्ध योजना की मशीनरी / उपस्कर या किसी अन्य सम्पति को ठेकेदार / या उसके अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा इस संविदा के अधीन अपनी झूटी करने में मशीनरी / उपस्कर को संस्थापित / मरम्मत करने के दौरान कोई नुकसान न हो। महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अधिकारी सवविकल्प से ऐसे नुकसान / हानि का मूल्यांकन कर सकेगा जो ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा हुआ हो और ठेकेदार माँग किए जाने पर ऐसी हानि / नुकसान की प्रतिपूर्ति संदाय करने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसे मामलों में महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना का निर्णय अंतिम और आबद्धकर होगा।

16. DAMAGE TO GOVERNMENT PROPERTY

The contractor shall ensure that no damage is done to the machinery/equipment or any other property of Delhi Milk Scheme by the employees of the contractor his agent or representative during the course of attending to their duty/ or installation / repair of machinery equipment under contract. The General Manager, Delhi Milk Scheme or any officer acting on his behalf may at his option assess any such losses/ damages on demand. The decision of General Manager, Delhi Milk Scheme shall be final and binding in such cases.

17. भ्रष्ट आचरण:

यदि ठेकेदार या उसके भागीदार अभिकर्ता या सेवक अथवा उसकी / उनकी और से किसी व्यक्ति द्वारा सरकार के सेवक, प्रतिनिधि या अभिकर्ता को इस या सरकार के साथ किसी अन्य संविदा को प्राप्त करने या निष्पादित करने के लिए कोई रिश्वत, कमीशन, उपहार या फायदा दिया जाता है, उसको फायदा किया जाता है या प्रस्थापित किया जाता है तो ठेकेदार द्वारा इसके लिए अपराधिक दायित्व उपगत किए जाने के अतिरिक्त यह संविदा या अन्य संविदा रद्द की जा सकेगी और संविदा के इस प्रकार रद्द किए जाने के कारण सरकार को हुई किसी हानि के लिए ठेकेदार को उसे संदाय करना होगा।

17. CORRUPT PRACTICES

Any bribe, commission, gifts or advantage given/promised or offered by or on behalf of the contractor or his partners/agents or servants or anyone of his or their behalf to the servants, representative or agent of Government in relation to obtain or to the execution of this of any other contract with the Govt. shall in addition

to any criminal ability which he may occur, subject to cancellation of this and all other contracts and also to make payment to the Govt. for any loss resulting from any such cancellation.

18. **माध्यस्थम खण्ड :**

इस करार से उत्पन्न होने वाले या उससे संबंधित विवाद या मतभेद, उनको छोड़कर जिसके लिए विशिष्ट रूप से यह कहा गया है कि महाप्रबन्धक, दिल्ली दुग्ध योजना का विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा। भारत सरकार के विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के सचिव द्वारा समनिर्दिष्ट किसी मध्यस्थ के एकमात्र विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसे नाम निर्देशन के प्रति यह आपत्ति नहीं की जाएगी उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति सरकारी सेवक है, कि उसे उन विषयों के संबंध में कार्रवाई करनी पडती है जिनका संबंध इस करार से है और / या यह कि सरकारी सेवक के रूप में उसने अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में विवाद या मतभेद वाले सभी या किन्हीं विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार नाम-निर्दिष्ट मध्यस्थ का अधिनिर्णय इस करार के पक्षकारों के लिए अंतिम और आबद्धकर होगा।

इस करार का निबंधन यह भी है कि यदि वह मध्यस्थ, जिसे मामला मूलतः निर्दिष्ट किया गया है, स्थानांतरित हो जाता है जिसके कारण लह पद रिक्त कर देता है तो उसका पदोत्तरवर्ती इस करार के निबंधन के अनुसार मध्यस्थ के रूप में नाम-निर्दिष्ट समझा जाएगा। उसे निर्देश के उस प्रक्रम से आगे कार्रवाई करने का हक होगा जहाँ उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था और ऐसी कार्रवाई के लिए इस खंड के उपबंध ही लागू होंगे। इन सभी कार्रवाहियों को भारतीय माध्यस्थम अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

18. **ARBITRATION CLAUSE**

All disputes and differences arising out of or in any way touching or concerning this Agreement whatsoever except where it is specifically stated that decision of General Manager, Delhi Milk Scheme shall be final and binding, shall be referred to the sole arbitration of any arbitrator nominated by the Secretary, Ministry of Law, Department of Legal Affairs, Government of India. It will be no objection to any nomination that the person nominated by him is a Govt. servant, that he has to deal with the matter to which this agreement relates and that in the course of his duties as Govt. servant he had expressed views on all or any of the matters in dispute of difference. The award of the Arbitrator, so nominated shall be final and binding on the parties to this agreement.

It is a term of this agreement that in the event of the Arbitrator to whom the matter is originally referred being transferred, or vacation his office for any reason his successor in office shall be deemed to have been nominated as the arbitrator in accordance with the terms of this agreement. He shall be entitled to proposed with the reference from the stage at which it was left by this predecessor and the provision of this clause shall apply. To all such proceedings the provision of Indian arbitration act shall apply.

19. **अधिकारिता :**

इस संविदा से उत्पन्न होने वाले या उठाये जाने वाले सभी विवादों पर केवल दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के न्यायालयों को अधिकारिता होगी।

19. **JURISDICTION**

All disputes arising out of or raised on this contract, shall be subject to the Jurisdiction of Court of Union Territory of Delhi.

मैं / हम, इसके द्वारा, इसमें अनुबंधनों और शर्तों का पालन करने का करार करता हूँ / करते हैं।

"I hereby agree to abide by the terms and conditions stipulated herein."

तारीख

Dated this _____ day of _____ 200

साक्षी के हस्ताक्षर: _____

निविदाकार के हस्ताक्षर _____

(SIGNATURE OF WITNESS)

SIGNATURE OF TENDERER

पता _____

पता _____

ADDRESS _____

ADDRESS _____

फोन नम्बर _____

फोन नम्बर _____

Phone No. _____

Phone No. _____